फर्द अहकाम

बनाम

आज्ञा विस्तृत रूप से
...ली पेश हुई। पक्षकार द्वारा ...
17/5/17
... वकील वादी ने रजि. A/D तामील ... पत्रावली दिनांक 9/5/17
...हुई। P.O.सा. दौरे / अवकाश रहने के कारण कार्यवाही ... की। पत्रावली दिनांक ...7 को पेश हो।
...लोक अदालत न्याय आपके ... में पेश हुई ... निर्णय पारित नहीं हुआ है ... पत्रावली दिनांक 5/9/17
...न्याय द्वारा ... करने ... की, जा
.../11/17
...वादी उपस्थित। वकील वादी ... तामील हेतु अवसर दिया ... नोटिस पेश होवे दिनांक ... 32
...अधिकारी ... जयपुर

फर्द अहकाम

बनाम

आदेश या कार्यवाही की तारीख	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
1/2/17	पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वकील वादी अनुपस्थित। प्रतिवादी एवं वकील प्रतिवादी अनुपस्थित। प्रकरण में विधिसम्मत रूप से तामील हो चुकी है। बावजूद इसके उभय पक्ष अनुपस्थित है। बारम्बार आवाज लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया। अन्तिम आवाज 5 बजे लगाई गई। उभय पक्ष की अनुपस्थिति एवं गैर हाजिरी से वाद अदम पैरवी में खारिज योग्य प्रतीत होता है तथापि प्रकरण आपसी सीमा के विवाद का होने से न्यायहित में इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि तहसीलदार, बस्सी 2 गिरदावरान, चार पटवारियान एवं की संयुक्त टीम से उभय पक्ष की मौजूदगी में वाद ग्रस्त भूमि की सीमा रेखा कायम करें। तहसीलदार द्वारा कायम की गई सीमा रेखा को मानने को उभय पक्ष पाबन्द रहेंगे ...	